रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2017/भाद्र 23, 1939
No. 775] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2017/BHADRA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

सं. 7/2017-एकीकृत कर

सा.का.नि. 1155(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सेवाओं के अंतरराज्यिक प्रदाय करने में लगे हुए छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकारों को, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को लागू नहीं होगी—

(क) जो उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है या जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुना है ; या

(ख) जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपाबंध में क्रम संख्या 151 के सामने उल्लिखित माल के संबंध में सेवाओं के प्रदाय में अंतरवर्लित है ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2017

No. 7/2017–Integrated Tax

G.S.R. 1155(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "said Act"), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the job workers engaged in making inter-State supply of services to a registered person as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a job-worker –

(a) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 22 or who opts to take registration voluntarily under sub-section (3) of section 25 of the said Act; or

(b) who is involved in making supply of services in relation to the goods mentioned against serial number 151 in the Annexure to rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2017

सं. 8/2017-एकीकृत कर

सा.का.नि. 1156(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है की धारा 23 की उप-धारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के अन्तर्राज्यीय कराधेय प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

परंतु ऐसे प्रदायों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि ऐसे प्रदायों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न विशेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है ।

2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित अन्तर्राज्यीय कराधेय प्रदाय करने वाले व्यक्तियों से स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी और वे केन्द्रीय माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नाम पद्धति, प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब इनका किसी मशीनरी के माध्यम से भी प्रमुखतया शिल्पकारों द्वारा हाथ से बनाया जाता है, प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जा सकेगा:--

सारणी

क्र. सं.	**उत्पाद**	**एचएसएन कोड**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र)	4201, 4202, 4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421